संÉ या-21/2018/3412/17-27-िसं0-4-2(ǒपम)/16Ĥेषक,

ट80 वÛकटेश,

Ĥमुख सिचव,

उ× तर Ĥदेश शासन।

सेवा मÛ,

Ĥमुख अिभयÛ ता एवं ǒवभागाÚ य¢,

िसंचाई एवं जल संसाधन ǒवभाग,

उ0Ĥ0,लखनऊ।

िसंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 लखनऊ: Ǒदनांक: 13 फरवर8,2018 ǒवषय: सहभागी िसंचाई ĤबÛ धन के अÛ तग[त कृषकǑ के मÚ य जागǾकता उ× पÛ नǑकये जाने के सà बÛ ध मÛ।

महोदय,

उपयु[È तǒवषयकĤमुख अिभयÛ ता (पǐरयोजना), िसंचाई एवं जल संसाधन ǒवभाग, उ0Ĥ0, लखनऊ के पğांक :सी-424/Ĥ0अ0(पǐर0)/ǒपम, Ǒदनांक 08 Ǒदसà बर, 2017 के सÛ दभ[मÛ मुझे यह कहने का िनदेश हुआ है Ǒक राÏय जल नीित कà अपे¢ानुसार सहभागी िसंचाई ĤबÛधन (ǒपम) लागू करने के उƧेæय से Ǒदनांक 20फरवर8, 2009 को उƣर Ĥदेश सहभागी िसंचाई ĤबÛधन अिधनियम, 2009 को Ĥभावी एवं सफल Ǿप से लागू कर जल उपभोÈता सिमितयǑ के गठन हेतु कृषकǑ का गितशीलन(मोǒबलाइजेशन) Ǒकयेजानेहेतु िनàनिलǔखत ǒविध एवं ĤǑĐया अपनायी जाएगी :-

1. गितशीलन (मोǒबलाइजेशन)-गितशीलन का ता×पय[नहर कमाÖड के कृषकǑ को सहभागी िसंचाई ĤबÛधन अिधनियम, **2009**से सàबǔÛधत जानकार8 देना तथा उÛहÛ इस Ĥकार Ĥेǐरत करना है Ǒक कृषक èवेÍछा से जल उपभोÈता सिमित के िनवा[चन एवं गठन ĤǑĐया मÛ भाग लेने हेतु तैयार हो जाएं।

2. गितशीलन कà अविध-गितशीलन कà अविध अिधकतम 3 माह कà होगी तथा यह इस Ĥकार िनधा[ǐरत कà जाएगी Ǒक गितशीलन का काय[िनवा[चन कà अिधसूचना कà ितिथ से पूव[समाƯ हो जाए।

3. **गितशीलन के कािम[क-**

3.1मुÉय गितशीलक-गितशीलन का काय[िसंचाई एवं जल संसाधन ǒवभाग मÛकाय[रत सींचपाल एवं सींचपय[वे¢क ɮवारा अǔãपका कमाÖड मÛ आने वाले ĒामǑ मÛ Ǒकया जाएगा। इन कािम[कǑ को मुÉय गितशीलक (मोबलाइजर) कहा जाएगा। **3.2**वाƨ गितशीलक-गितशीलन का काय[िसंचाई एवं जल संसाधन ǒवभाग मÛ काय[रत सींचपालǑ एवं सींचपय[वे¢कǑ ɮवारा Ǒकया जाएगा। परÛतु यǑद Ǒकसी खÖड मÛ सींचपालǑ एवं सींचपय[वे¢कǑ कà आवæयक संÉया मÛ उपलÞधता नह8ं हो पाती है तो िसंचाई एवं जल संसाधन ǒवभाग से सेवािनवृƣ सींचपाल, सींचपय[वे¢क एवं ǔजलेदार कà सेवाएं ĤाƯ कà जा सकÛ गी। ऐसे कािम[कǑ को वाƨ गितशीलक कहा जाएगा।

3.3वाƨ गितशीलकǑ कà संÉया एवं मानदेय-वाƨ गितशीलकǑ कà संÉया (Ĥèतर-2 एवं Ĥèतर-4 के Ǻǒçगत) तथा मानदेय का िनधा[रण िनदेशक, ǒपम (मुÉय अिभयÛता पǐरकãप एवं शोध) ɮवारा खÖड से ĤाƯ Ĥèताव के आधार पर Ǒकया जाएगा।

3.4सहायक गितशीलक-Ĥ×येक Ēामहेतु एक पढ़ा िलखा Ēामवासी सहायक गितशीलक के Ǿप मÛ रखा जायेगा। सहायक गितशीलक का िनधा[रण/नामांकन Ēाम Ĥधान ɮवारा Ǒकया जाएगा। सहायक गितशीलक ɮवारा गितशीलकǑ को उनके िनधा[ǐरत काय[मÛ सहायता Ĥदान कà जायेगी।

3.5सहायक गितशीलक कà योÊयता-सहायक गितशीलक कà योÊयता इÖटरमीǑडएट से कम नह8ं होगी परÛतु यǑद Ǒकसी गाँव मÛèनातक èतर अथवा अिधक शैǔ¢क योÊयता का åयǒƠ उपलÞध होगा तो उसे ह8 सहायक गितशीलक बनाया

जायेगा। ǒव£ान एवं गǔणत ǒवषय को Ĥाथिमकता द8 जायेगी। सहायक गितशीलक कà Ûयूनतम उĨ 25 वष[तथा अिधकतम उĨ 50 वष[होगी।

3.6सहायकगितशीलक का मानदेय-Ĥ×येक सहायक गितशीलक को गितशीलन काय[कà सफलतापूव[क समािƯ पर 2000/-का मानदेय देय होगा।

4. गितशीलक का काय[¢ेğ-Ĥ×येक गितशीलक (मुÉय गितशीलक अथवा वाƨ गितशीलक) ɮवारा Ĥितमाह कम से कम 02 गाँवǑ कà दर से गितशीलन काय[Ǒकया जायेगा।

5. **गितशीलन कà ĤǑĐया-** गितशीलकǑ (मुÉय एवं वाƨ गितशीलक) ɮवारा गितशीलन ĤǑĐया मÛ िनàन काय[सàपÛन Ǒकये जायÛगे- **5.1** Ēाम Ĥधान एवं अÛय के साथ बैठक करना-गितशीलकǑ ɮवारा सव[Ĥथम Ēाम Ĥधान से िमलकर योजना के बारे मÛ जानकार8 द8 जाएगी तथा उनका सहयोग ĤाƯ Ǒकया जाएगा। इसी Ĥकार Ēाम के पूव[Ĥधान, Ēाम पंचायत सदèयǑ, Ĥगितशील कृषकǑ एवं अÛय गणमाÛय åयǒƠयǑ से िमलकर योजना कà जानकार8 द8 जाएगी।

5.2 छोटे समूहį के साथ ǒवचार-ǒवमश[-Ēाम Ĥधान, पूव[Ēाम Ĥधान, Ĥगितशील कृषकį एवं अÛय गणमाÛय åयǒÈतयį कȧ अÚय¢ता मΛ छोटे-छोटे समूह बनाकर उनके साथ योजना के बारे मΛ ǒवचार-ǒवमश[Ǒकया जाएगा।

5.3 Èलèटर जागǾकता एवं िश¢ण काय[Đम-Ĥ×येक Ēाम को Èलèटर जागǾकता एवं िश¢ण काय[Đम के िलये चार भागį Èलèटर मΛ ǒवभाǔजत Ǒकया जायेगा। गितशीलकį ɮवारा Ĥ×येक भाग Èलèटर के कृषकį के साथ तीन अददजागǾकता एवं िश¢ण काय[Đम सàपÛन Ǒकये जायΛगे। इस Ĥकार Ĥ×येक Ēाम मΛ कुल 12 जागǾकता एवं िश¢ण काय[Đम सàपÛन Ǒकए जाएंगे। Ĥ×येक जागǾकता एवं िश¢ण काय[Đम मΛ Ûयूनतम 50 कृषक होने चाǑहए। Ĥ×येक जागǾकता एवं िश¢ण काय[Đम कȧ अविध 75 िमनट रखी जाएगी। जागǾकता एवं िश¢ण काय[Đम कȧ सğ योजना (सेशन Üलान) तथा त×सàबÛधी पाɫय सामĒीवाãमी ɮवारा तैयार कर अिधशासी अिभयÛता के माÚयम से गितशीलकį को उपलÞध करायी जायेगी।

5.4Ēाम मीǑटंग-अÛत मΛ Ēाम Ĥधान कȧ अÚय¢ता मΛ एक Ēाम सभा कȧ बैठक आयोǔजत कȧ जाएगी, ǔजसमΛ सàबǔÛधत गितशीलक ɮवारा योजना के बारे मΛ जानकारȣ दȣ जाएगी।

5.5Èलèटर जागǾकता एवं िश¢ण काय[Đम हेतु मुÉय गितशीलकį हेतु मानदेय-Ĥ×येक मुÉय गितशीलक को गुणव×तापूण[Èलèटर जागǾकता एवं िश¢ण काय[Đम हेतु Ǿ0 300.00 Ĥित Èलèटर जागǾकता एवं िश¢ण काय[Đम कȧ दर से मानदेय देय होगा।

5.6गितशीलन आÉया-Ĥ×येक गितशीलक ɮवारा èवयं Ǒकये गये गितशीलन काय[कȧ आÉया तैयार कȧ जाएगी। गितशीलन आÉया मΛ Èलèटर सूचना एवं िश¢ण काय[Đम मΛ उपǔèथित कृषकį के नाम व हèता¢रएवं मोबाइल संÉया तथा फोटोĒाफ सǔàमिलत Ǒकया जायेगा। यह आÉया Ĥमुख अिभयÛता (पǐरयोजना), िसंचाई एवं जल संसाधन ǒवभाग ɮवारा िनधा[ǐरत ĤाǾप पर तैयार कȧ जाएगी।

6. गितशीलन हेतु कािम[कį का Ĥिश¢ण-

6.1नामांकन एवं Ĥिश¢ण åयवèथा-सव[Ĥथम Ĥ×येक खÖड के अिधशासी अिभयÛता पाँच ऐसे कािम[कį (सींचपाल, सींचपय[वे¢क, ǔजलेदार एवं अवर अिभयÛता/सहायक अिभयÛता) को नािमत करΛगे जो वाãमी संèथान मΛ Ĥिश¢ण ĤाÜत कर खÖड के अÛय समèत सींचपालį एवं सींचपय[वे¢कį का Ĥिश¢ण कर सकΛ । अिधशासी अिभयÛता इन कािम[कį का नाम िनदेशक, ǒपम (मुÉय अिभयÛता पǐरकãप एवं शोध) को उपलÞध कराएंगे। नामांकन ĤाÜत होते हȣ िनदेशक, ǒपम ɮवारा उƠ कािम[कį के वाãमी संèथान ɮवारा Ĥिश¢ण कȧ åयवèथा कȧ जायेगी। वाãमी संèथान से Ĥिश¢ण ĤाÜत कर कािम[क अपने खÖड के अÛय कािम[कįको Ĥिश¢ण दΛगे। अÛय कािम[कį के खÖड èतरȣय Ĥिश¢ण काय[Đम कȧ सğ योजना (सेशन Üलान) तथा त×सàबÛधी पाɫय सामĒी वाãमी संèथान से ĤाÜत कȧ जा सकेगी।खÖड èतर पर आयोǔजत Ĥिश¢ण सफलतापूव[क पूण[होने

तथा उसकȧ गुणव×ता पर अिधशासी अिभयÛता ɮवारा िनदेशक, ǒपम को आÉया दȣ जायेगी। िनदेशक, ǒपम ɮवारा Ĥिश¢णį का औचक िनरȣ¢ण भी कराया जायेगा।

6.2खÖड èतरȣय Ĥिश¢ण मΛ Ĥितभािगयį कȧ संÉया-खÖड èतर पर Ĥ×येक Ĥिश¢ण मΛ Ûयूनतम 20 तथा अिधकतम 35 Ĥितभागी हįगे। 20 Ĥितभागी से कम होने पर Ĥिश¢ण िनरèत कर Ǒकसी अÛय ितिथ पर सàपÛन कराया जाएगा।

6.3Ĥिश¢कį को मानदेय -खÖड èतर पर Ĥिश¢ण देने वाले वाãमी Ĥिशǔ¢त कािम[कį को Ĥो×साहन èवǾप Ǿ0 300.00 Ĥित Ĥिश¢ण सğ (75 िमनट) कȧ दर से मानदेय देय होगा।

7.

गितशीलन कायɟ का अनुĮवण- **7.1**गितशलन कायɟ का खÖड èतरȣयअनुĮवण-गितशीलन कायɟ का अनुĮवण ǔजलेदार एवं अवर अिभयÛता ɮवारा Ǒकया जाएगा। इस हेतु ǔजलेदारį एवं अवर अिभयÛताओं के काय[¢ेğ का िनधा[रण पूव[मΛ हȣ कर िलया जायेगा। ǔजलेदार एवं अवर अिभयÛताओं ɮवारा पाǔ¢क अनुĮवण आÉया एवं कायɍ के स×यापन कȧआÉया (Ĥमुख अिभयÛता (पǐरयोजना), िसंचाई एवं जल संसाधन ǒवभाग ɮवारा िनधा[ǐरत ĤाǾप पर) खÖडȣय ǒपम ĤकोǓ के अÚय¢ (सहायक अिभयÛता) को Ĥेǒषत कȧ जाएगी। खÖडȣय ǒपम ĤकोǓ ɮवारा समèत अवर अिभयÛता एवं ǔजलेदार से ĤाÜत पाǔ¢क अनुĮवण आÉया कापरȣ¢ण कर समेǑकत आÉया अिधशासी अिभयÛता को उपलÞध कराई जाएगी।

7.2गितशीलन काय[का औचक िनरȣ¢ण-खÖड के सहायक अिभयÛता एवं अिधशासी अिभयÛता ɮवारा गितशीलन कायɟ का औचक िनरȣ¢ण Ǒकया जाएगा तथा िनरȣ¢ण आÉया अधी¢ण अिभयÛता को उपलÞध कराई जाएगी।

7.3मÖडल èतरȣय पाǔ¢क समी¢ा-सàबǔÛधत अधी¢ण अिभयÛता ɮवारा गितशीलन कायɟ कȧ पाǔ¢क समी¢ा कȧ जाएगी। समी¢ा बैठक मΛ मÖडल के सàबǔÛधत अिधशासी अिभयÛता एवं खÖडȣय ǒपम ĤकोǓ के अÚय¢ सǔàमिलत हįगे। बैठक का काय[वृ×त सàबǔÛधत मुÉय अिभयÛता को उपलÞध कराया जायेगा।

7.4मुÉय अिभयÛता èतरȣय मािसक समी¢ा-मुÉय अिभयÛता ɮवारा गितशीलन काय[कȧ मािसक समी¢ा कर आÉया िनदेशक ǒपम को उपलÞध कराई जाएगी।

7.5िनदेशक ǒपम कȧ मािसक समी¢ा-गितशीलन काय[कȧ समी¢ा हेतु सàबǔÛधत मुÉय अिभयÛताओं के साथ िनदेशक, ǒपम ɮवारा मािसक समी¢ा कȧ जायेगी। समी¢ा हेतु सàबǔÛधत मुÉय अिभयÛताओं ɮवारा संलÊन Ĥपğ पर

सूचनाओं के साथ Ĥितभाग Ǒकया जायेगा।

8. गितशीलकɉ एवंसहायक गितशीलकɉ के मानदेय भुगतान कȧ ĤǑĐया-गितशीलकɉ एवं सहायक गितशीलकɉ के मानदेय का भुगतान दो Ǒकèतɉ मɅ देय होगा। Ĥथम Ǒकæ तजो मानदेय कȧ धनरािश कȧ 50 Ĥितशत होगी, Èलèटर जागǾकता एवं िशɢण कायĐ[म के स×यापन (उपरोÈ Ĥèतर-7.1 के अनुसार)के पƱात्देय होगी तथा Ǒɮतीय Ǒकæ ततब देय होगी जब कुलाबा सिमित के िनवा[चन हेतु कम से कम 75 Ĥितशत अथवा अिधक कुलाबɉ पर नामांकन ĤाÜ हɉ।

9. Èलèटर जागǾकता एवं िशɢण कायĐ[म हेतु åयय-Ĥ×येक Èलèटर जागǾकता एवं िशɢण कायĐ[म मɅ Ĥितभािगयɉ को 2-3 ǒबèकुट एवं चाय उपलÞध कराई जाएगी। इस हेतु Ǿ0 250/- Ĥित Èलèटर जागǾकता एवं िशɢण कायĐ[म कȧ दर से देय होगा।

10. खÖड èतर पर आयोǔजत Ĥिशɢण åयवèथा हेतु åयय-खÖड èतर पर आयोǔजत होने वाले कािम[कɉके ĤिशɢणमɅहोने वाले åयय कȧ åयवèथा ǒवभागीय Ĥिशɢण मद से कȧ जायेगी।

11. गितशीलकɉ एवं अनुĮवणकता[को याğा भƣा-गितशीलन काय[मɅ लगे सींचपालɉ एवं सींचपय[वेɢकɉ को Ǿ0 1000/-Ĥितमाह तथा उनके अनुĮवणकता[ǔजलेदार एवं अवर अिभयÛता को Ǿ0 2000.00 Ĥितमाह कȧ दर से एकमुæत याğा भƣा देय होगा।

सहभागी िसंचाई ĤबÛ धन केअÛ तग[त कृषकɉ के मÚ य जागǾकता(एम)

जागǾकता एवं िशɢण सामĒी-खÖडȣय अिधकािरयɉ ɮवारा अपनी आवæयकतानुसार जागǾकता एवं िशɢण सामĒी वाã‍मी संèथान से ĤाÜ Ǒकया जा सकेगा।

2. इस सàबÛ ध मɅ मुझे यह भी कहने का िनदेश हुआ है Ǒक कृपया स× यापन का è तर सुǺढ़ बनाये रखा जाये।

भवदȣय,

संÉ या-21/2018/3412/(1)/17-27-िसं0 एवं ज0सं0-4 तǑदनांक

(ट80 वɅकटेश)
Ĥमुख सिचव।

Ĥितिलǒप िनàनिलǔखत को सूचनाथ[एवं आवæ यक काय[वाहȣ हेतु Ĥेǒषत:-

1- अÚ यɢ, पैÈ ट, उ× तर Ĥदेश वाटर सेÈ टर ȣèĚÈ चिरंग पिरयोजना, िसंचाई एवं जल संसाधन ǒवभाग, उ0Ĥ0, लखनऊ।

2- Ĥमुख अिभयÛता (पिरयोजना), िसंचाई एवं जल संसाधन ǒवभाग, उ0Ĥ0, लखनऊ।

3- िनदेशक, ǒपम, िसंचाई एवं जल संसाधन ǒवभाग, उ0Ĥ0, लखनऊ।

4- मुÉ य अिभयÛ ता, पैÈ ट, उ× तर Ĥदेश वाटर सेÈ टर ȣèĚÈ चिरंग पिरयोजना, िसंचाई एवं जल संसाधन ǒवभाग, उ0Ĥ0, लखनऊ।

5- गाड[फाईल।

आ£ा से,

(मुæ ताक अहमद)
संयुÈ त सिचव।

सहभागी िसंचाई ĤबÛ धन केअÛ तग[त कृषकɉ के मÚ य जागǾकता(एम)